न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 19 सन 2021

अनवान :–

1. मनीराम पुत्र लिच्छीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 20/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 168/160 के खसरा न0 96/2 की 4.7420हैक भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

इसी प्रकार रोही मोजा चक देईदास के खाता संख्या 43/33 की कुल 11.3770हैक में सयुक्त खाता में भूमि दर्ज है जिसमें सायल का नाम मनीराम पुत्र लिच्छीराम दर्ज है जो सही तौर से दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सहवन/उच्चारण के कारण मनीराम पुत्र गिरधारी दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम मनीराम पुत्र लिच्छीराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी के पिता का नाम गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी के पिता का नाम लिच्छीराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 168/160 के खसरा न0 96/2 की 4.7420हैक भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारी के स्थान पर लिच्छीराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 168/160 के खसरा न0 96/2 की 4.7420हैक भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । इसी प्रकार रोही मोजा चक देईदास के खाता संख्या 43/33 की कुल 11.3770हैक में सयुक्त खाता में भूमि दर्ज है जिसमें सायल का नाम मनीराम पुत्र लिच्छीराम दर्ज है जो सही तौर से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सहवन/उच्चारण के कारण मनीराम पुत्र गिरधारी दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम मनीराम पुत्र लिच्छीराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी के पिता का नाम गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी के पिता का नाम लिच्छीराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 168/160 के खसरा न0 96/2 की 4.7420हैक भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम गिराधारी दर्ज है। वादी का कथन है कि उसके पिता का सही नाम लिच्छीराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी के पिता का नाम लिच्छीराम दर्ज है सरपंच ग्राम पचांयत के द्वारा भी वादी के पिता के नाम के सम्बध में तस्दीक/प्रमाण दिया गया है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम लिच्छीराम है तथा इसी ग्राम के अन्य खाता संख्या 43/33 में भी प्रार्थी के पिता का नाम लिच्छीराम दर्ज है तथा प्रार्थी के परिवार के सदस्यों के द्वारा भी शपथ पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम लिच्छीराम है उक्त विवचेन/दस्तावेजात के अनुसार प्राथी के पिता का सही नाम लिच्छीराम होना प्रतीत होता है प्रार्थी अपने पिता का ना राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक/प्रमाण पत्र एवं परिवार के सदस्यों के शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 168/160 के खसरा न0 96/2 की कुल 4.7420हैक भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारी अंकित है के स्थान पर लिच्छीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/09/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/ दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 19/2021 अनवानी मनीराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. मनीराम पुत्र लिच्छीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 19/2021 अनवानी मनीराम बनाम सरकार में दिनांक 20/09/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 168/160 के खसरा न0 96/2 की कुल 4.7420हैक भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारी अंकित है के स्थान पर लिच्छीराम संशोधन किये जानेक आदेश किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर